भारत एवं मध्य प्रदेश में घटता हुआ शिशु लिंग अनुपात: एक परिदृश्य

UNFPA

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष

शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री

मध्यप्रदेश शासन
भोपाल – 462004

सं.क्र. 5828/ 09 नवम्बर, 2011

संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, मध्यप्रदेश द्वारा **भारत एवं मध्यप्रदेश में घटता हुआ शिशु लिंगानुपात : एक परिदृश्य** पुस्तिका का प्रकाशन किया जा रहा है।

समाज में शिशु लिंगानुपात का अंतर एक चिंतनीय विषय है। प्रदेश और देश में सभी स्थानों पर घटते लिंगानुपात से होने वाले सामाजिक दुष्परिणामों की भयावहता को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश में बेटी बचाओ अभियान प्रारंभ किया गया है। **बेटी है तो कल है** इस सूत्र वाक्य पर केन्द्रित अभियान की सफलता सभी वर्गों के सहयोग से संभव है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा मध्यप्रदेश के संदर्भ में यह प्रकाशन समसामयिक है।

आशा है मध्यप्रदेश के संदर्भ में प्रकाशित यह पुस्तिका बेटियों के प्रति सामाजिक मान्यताओं को बदलने, उन्हें सशक्त और स्वावलंबी बनाने की दृष्टि से उपयोगी होगी।

हार्दिक शुभकामनाएँ।

(शिवराजसिंह चौहान)

जब तक लड़की के जन्म का,
लड़के के जन्म की तरह स्वागत नहीं किया जाता,
तब तक हमें मान लेना चाहिए कि भारत
आंशिक अपंगता से पीड़ित है।

– महात्मा गाँधी

"लिंग निर्धारण की पूर्वधारणा का अर्थ है
प्रकृति के विरूद्ध जाना। ऐसी प्रवृत्ति न
केवल महिलाओं के गौरव को ठेस पहुँचाती
है वरन् वह संवैधानिक स्वभाव के भी विरूद्ध है।"

– मुम्बई हाई कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय का अंश

भारत एवं मध्य प्रदेश में घटता हुआ शिशु लिंग अनुपातः एक परिदृश्य

पिछले कुछ वर्षों से मध्य प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों में शिशु लिंग अनुपात में तेजी से गिरावट आ रही है। सन् 2011 की जनगणना के प्रारम्भिक आँकड़ों के अनुसार प्रदेश में शिशु लिंग अनुपात में सन् 2001 की जनगणना की तुलना में और अधिक गिरावट दर्ज की गई है जो कि एक गंभीर समस्या की ओर संकेत है। इस समस्या को समझने के लिए देश एवं प्रदेश में शिशु लिंग अनुपात में हो रही गिरावट के परिदृश्य को समझना आवश्यक है।

इस पुस्तिका में भारत एवं मध्य प्रदेश में सन् 2001 तथा 2011 की जनगणना के अनुसार शिशु लिंग अनुपात को तुलनात्मक रूप में प्रदर्शित किया गया है जो कि शिशु लिंग अनुपात में गिरावट की प्रवृत्तियों को स्पष्ट करता है। वर्ष 2010 से प्रारम्भ हुए वार्षिक स्वास्थ्य सर्वे द्वारा पहली बार जिला स्तर पर जन्म के समय लिंग अनुपात के आँकड़े उपलब्ध करवाये गये हैं। इस पुस्तिका में वार्षिक स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार मध्य प्रदेश के सभी जिलों में जन्म के समय लिंग अनुपात के आँकड़ों को भी शामिल किया गया है।

इस पुस्तिका के अन्तिम भाग में गिरते हुए शिशु लिंग अनुपात के दुष्परिणाम, पी.सी.पी.एन.डी.टी. अधिनियम (1994) के मुख्य प्रावधानों तथा राज्य में गिरते हुए शिशु लिंग अनुपात को रोकने के लिए किये जा रहे प्रयासों को भी संक्षेप में दिया गया है।

महत्वपूर्ण परिभाषाएं

शिशु लिंग अनुपात क्या है?

जन्म से लेकर 6 वर्ष के आयु वर्ग में प्रति 1000 बालकों की तुलना में इसी आयु वर्ग की बालिकाओं की संख्या को शिशु लिंग अनुपात कहा जाता है। शिशु लिंग अनुपात किसी भी समाज की संवेदनशीलता का महत्वपूर्ण एवं सशक्त सूचकांक है। शिशु लिंग अनुपात मुख्यतः जन्म के समय लिंग अनुपात तथा बाल्य अवस्था में मृत्यु में लिंग आधारित अन्तर से प्रभावित होता है।

जन्म के समय लिंग अनुपात क्या है?

प्रति 1000 बालकों के जन्म पर बालिकाओं के जन्मों की संख्या को जन्म के समय लिंग अनुपात कहा जाता है। सामान्य रूप से जन्म के समय लिंग अनुपात प्रति 1000 बालकों के जन्म पर 952 या इससे अधिक बालिकाओं का जन्म होता है। यदि जन्म के समय लिंग अनुपात 952 से कम हो तो ये माना जा सकता है कि उस क्षेत्र में गर्भधारण पूर्व एवं प्रसवपूर्व निदान तकनीकी का दुरूपयोग कर लिंग चयन एवं लिंग आधारित गर्भपात किये जा रहे हैं।

लिंग अनुपात क्या है?

प्रति 1000 पुरूषों की तुलना में महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है।

शिशु लिंग अनुपात : भारत एवं मध्य प्रदेश

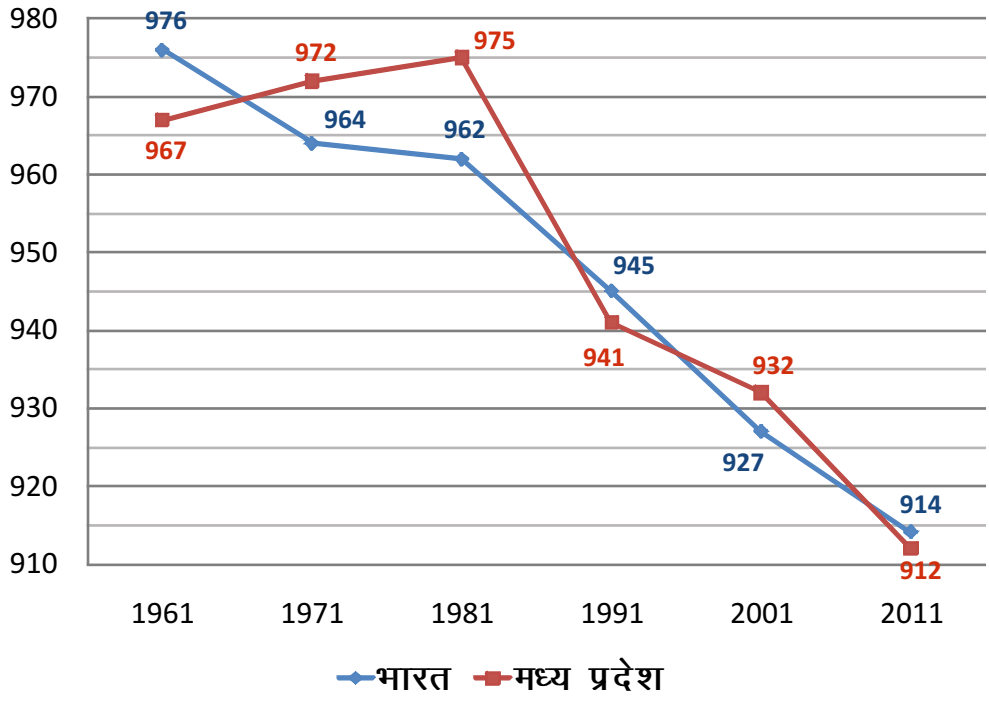

स्त्रोतः जनगणना 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 एवं प्रारंभिक आँकड़े जनगणना 2011

- भारत एवं मध्य प्रदेश में शिशु लिंग अनुपात में सन् 1961 से 2011 के बीच भारी गिरावट हुई है।
- भारत में इस अवधि में शिशु लिंग अनुपात में 62 बिन्दुओं तथा मध्य प्रदेश में 55 बिन्दुओं की गिरावट हुई है।
- सबसे तीव्र गिरावट 1981 के बाद के तीन दशकों में हुई है जो सोनोग्राफी तथा अन्य गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीकों की बढ़ी हुई उपलब्धता तथा दुरूपयोग की ओर संकेत करती है।
- सन् 2011 की जनगणना के प्रारम्भिक आँकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश का शिशु लिंग अनुपात राष्ट्रीय औसत से भी नीचे पहुँच गया है जो कि चिंता का विषय है।

शिशु लिंग अनुपात 2001 : भारत

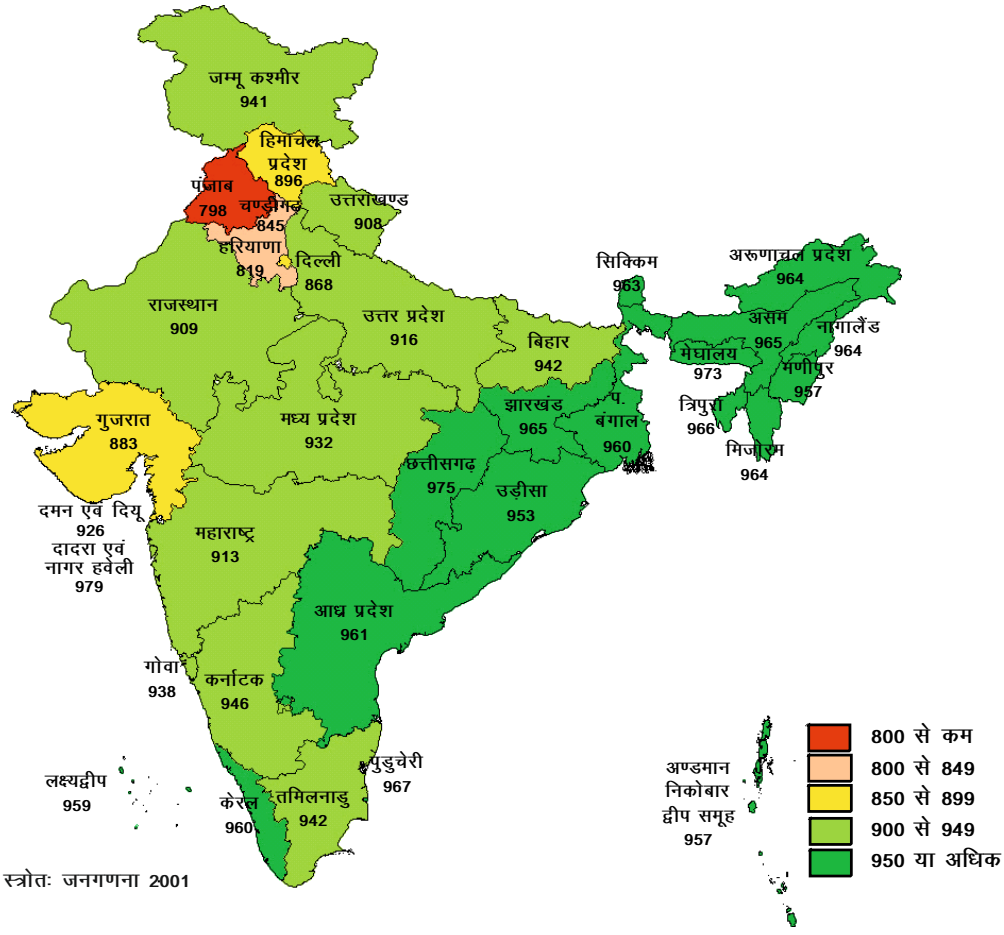

स्त्रोतः जनगणना 2001

- सन् 2011 की जनगणना में भारत में शिशु लिंग अनुपात अब तक के सबसे नीचे के स्तर पर पहुँचकर 914 हो गया है जो कि एक खतरनाक स्थिति है।
- 27 राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में शिशु लिंग अनुपात में गिरावट दर्ज की गई है तथा देश के 50 प्रतिशत जिलों में शिशु लिंग में अनुपात राष्ट्रीय औसत की तुलना में अधिक गिरावट आई है।
- सन् 2011 की जनगणना में हरियाणा (830), पंजाब (846) एवं जम्मू कश्मीर (859) राज्यों में सबसे कम शिशु लिंग अनुपात पाया गया है।

शिशु लिंग अनुपात 2011 : भारत

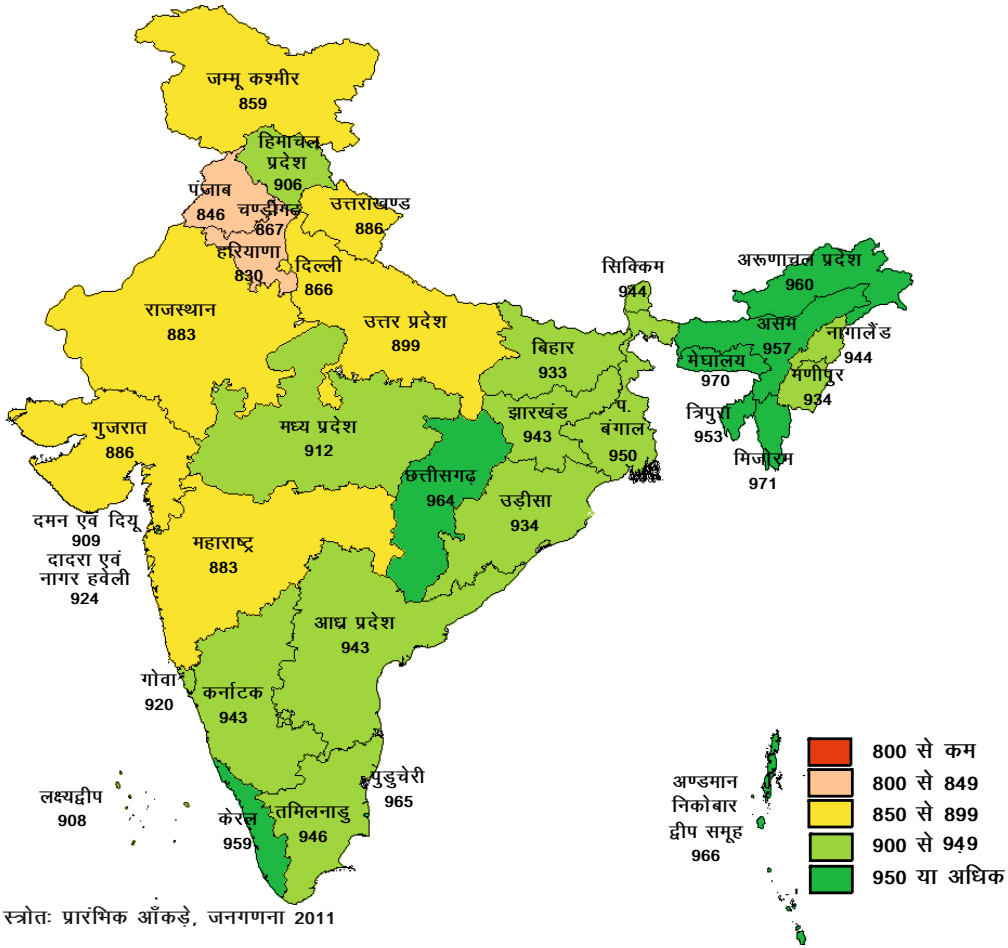

स्त्रोतः प्रारंभिक आँकड़े, जनगणना 2011

- पिछले एक दशक में 8 राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में शिशु लिंग अनुपात में 22 से 82 बिन्दुओं की गिरावट दर्ज की गई है।
- यहाँ तक कि सिक्किम एवं अरूणाचल प्रदेश जैसे उत्तर–पूर्वी राज्य एवं आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक जैसे दक्षिणी राज्यों में भी शिशु लिंग अनुपात में गिरावट आई है।

शिशु लिंग अनुपात 2001 : मध्य प्रदेश

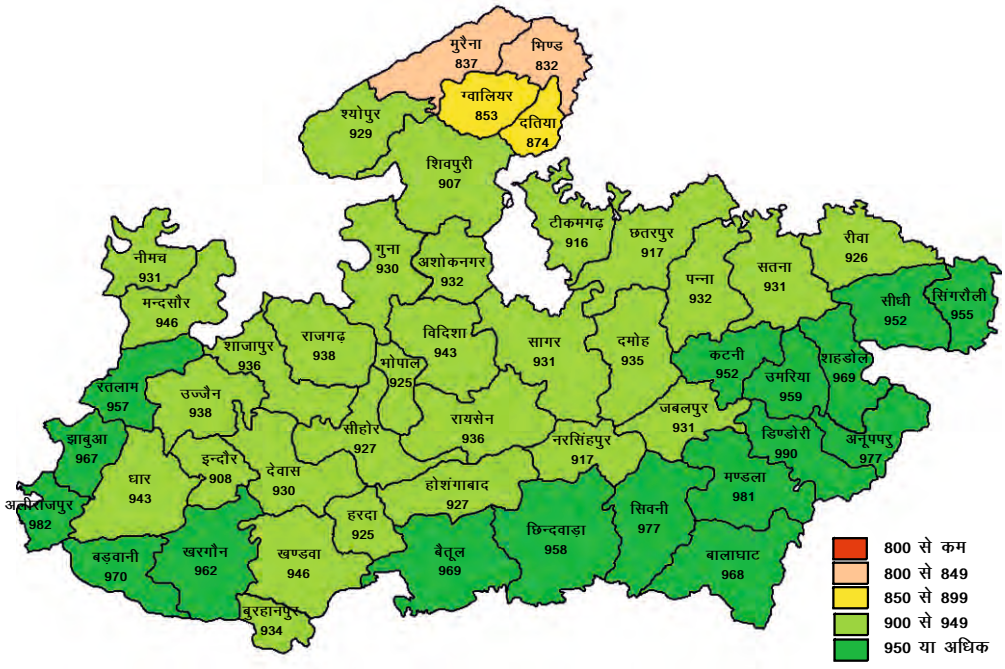

स्त्रोतः जनगणना 2001

- सन् 2001 एवं 2011 के बीच मध्य प्रदेश में शिशु लिंग अनुपात में 20 बिन्दुओं की गिरावट आई है और राज्य का शिशु लिंग अनुपात 932 से गिरकर प्रति 1000 लड़कों पर 912 लड़कियाँ हो गया है जो अब तक का सबसे निचला स्तर है।
- प्रदेश में सिर्फ भिण्ड जिले को छोड़कर अन्य सभी जिलों में सन् 2001 में दर्ज शिशु लिंग अनुपात की तुलना में सन् 2011 में गिरावट हुई है यह गिरावट विभिन्न जिलों में 4 से 43 बिन्दुओं तक है।

शिशु लिंग अनुपात 2011 : मध्य प्रदेश

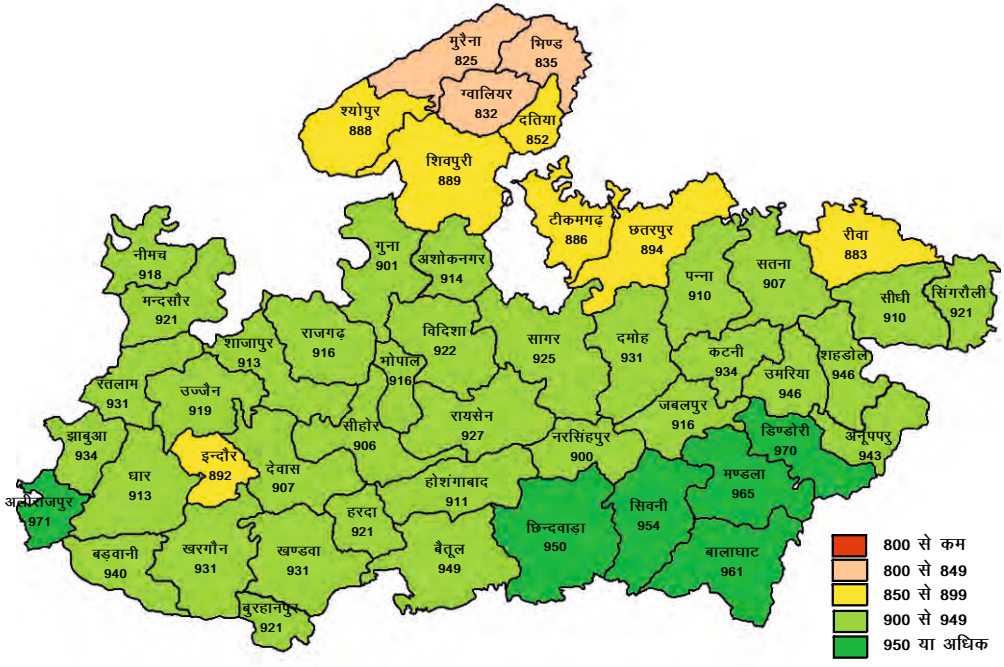

स्त्रोतः प्रारंभिक आँकड़े, जनगणना 2011

- प्रदेश में पिछले एक दशक में शिशु लिंग अनुपात में सर्वाधिक 43 बिन्दुओं की गिरावट रीवा जिले में दर्ज की गई।
- सन् 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के 18 जिलों का शिशु लिंग अनुपात प्रदेश के औसत शिशु लिंग अनुपात (912) से भी कम हो गया है।
- प्रदेश के अधिकांश आदिवासी बहुल जिलों में शिशु लिंग अनुपात में सन् 2001 की तुलना में भारी गिरावट आई है।

शिशु लिंग अनुपात में गिरावट (2001–2011): मध्य प्रदेश

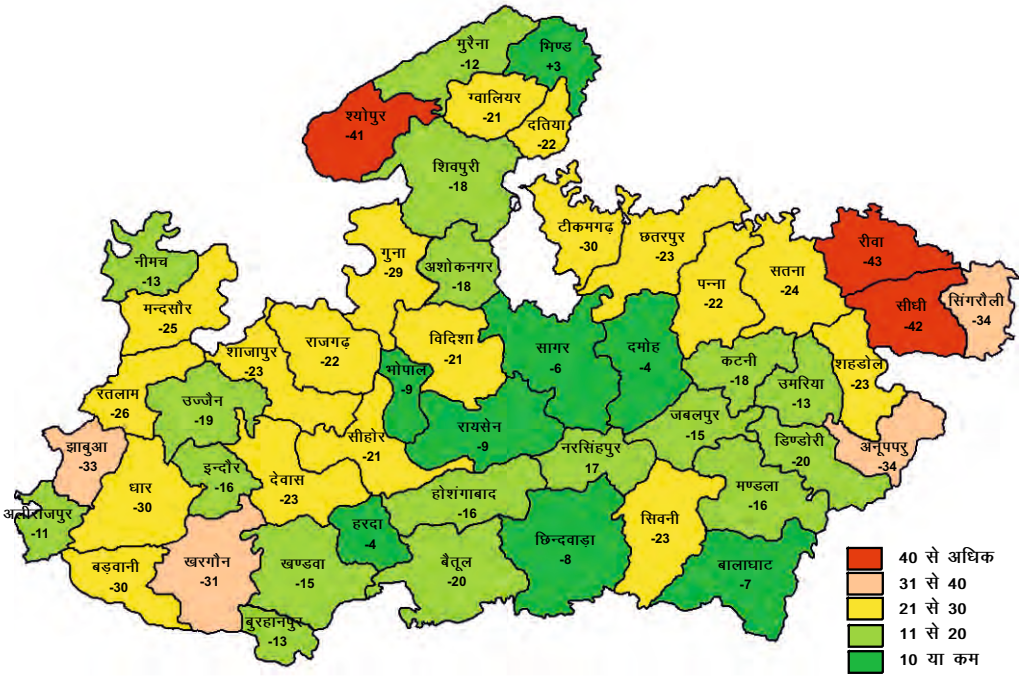

स्त्रोतः जनगणना 2001 एवं प्रारंभिक आँकड़े जनगणना 2011

- पिछले दशक में राज्य के 25 जिलों में शिशु लिंग अनुपात में 20 से अधिक बिन्दुओं की गिरावट हुई है। इनमें से श्योपुर, रीवा और सीधी जिलों में तो यह गिरावट 40 बिन्दुओं से भी अधिक है।
- प्रदेश में एकमात्र भिण्ड जिले में पिछले एक दशक में शिशु लिंग अनुपात में गिरावट नहीं हुई है। भिण्ड जिले में शिशु लिंग अनुपात इस अवधि में 3 बिन्दु बढ़ा है लेकिन यह जिला अभी भी 835 शिशु लिंग के साथ प्रदेश में सबसे कम लिंग अनुपात वाले 5 जिलों में शामिल है।

जन्म के समय लिंग अनुपात : मध्य प्रदेश

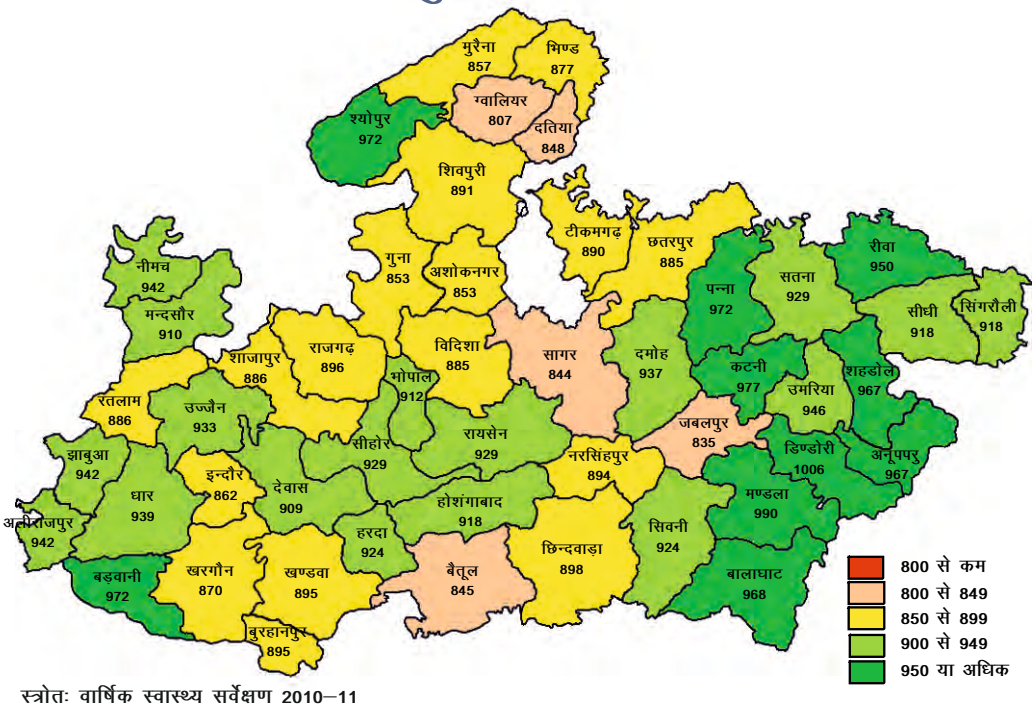

स्त्रोतः वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2010–11

- भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010 से एक नया वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण प्रारम्भ किया गया है। इस सर्वेक्षण द्वारा पहली बार जिला स्तर पर जन्म के समय लिंग अनुपात के आँकड़े उपलब्ध कराये गये हैं।
- जन्म के समय लिंग अनुपात का आशय प्रति 1000 बालकों के जन्म पर बालिकाओं के जन्मों की संख्या से है।
- प्राकृतिक रूप से प्रति 1000 बालकों के जन्म पर 952 या उससे अधिक बालिकाओं के जन्म को जन्म के समय सामान्य लिंग अनुपात माना जाता है।
- सन् 2010–11 के वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आँकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश के मात्र 9 जिलों में जन्म के समय लिंग अनुपात सामान्य है। शेष सभी 41 जिलों में जन्म के समय लिंग अनुपात सामान्य से कम है जो प्रदेश में सोनोग्राफी तथा अन्य गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीकों के दुरूपयोग को दर्शाता है।
- प्रदेश के 22 जिलों में जन्म के समय लिंग अनुपात तो 900 से भी कम है जो कि एक गंभीर चिन्ता का विषय है।

घटते शिशु लिंग अनुपात के दुष्परिणाम

- महिलाओं के प्रति हिंसा में वृद्धि तथा मौलिक अधिकारों का हनन।
- महिलाओं के प्रति लैंगिक अपराधों में वृद्धि (बलात्कार, अपहरण, जबरन बहुपति प्रथा)।
- महिलाओं के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव, बेटे की चाह में बार–बार गर्भपात के लिए विवश करने से महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य पर गंभीर दुष्प्रभाव।
- महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न में वृद्धि जिससे यौन संचारित संक्रमणों एवं रोगों तथा एच.आई.वी./एड्स के प्रकरणों में वृद्धि।
- यह महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव डालता है क्योंकि साधारणतः बेटा पैदा न कर पाने के लिए उन्हें दोषी ठहराया जाता है।
- शादी के लिए एवं व्यवसायिक यौन के लिए लड़कियों एवं महिलाओं की खरीद–फरोख्त।
- समाज में कम लड़कियों की वजह से, एक लड़की का विवाह एक ही परिवार के 2–3 भाईयों के साथ कराने और केवल महिला को बेटा पैदा करने की मशीन के रूप में देखा जाना।

गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994

गर्भधारण से पूर्व या उसके पश्चात् लिंग चयन के प्रतिषेध और आनुवांशिक असामान्यताओं, मेटाबोलिक विकारों, कतिपय जन्मजात विकृतियों या लिंग सहलग्न विकारों का पता लगाने के प्रयोजनों के लिए प्रसव पूर्व निदान तकनीकों के विनियमन तथा इन तकनीकों का लिंग चयन एवं लिंग आधारित गर्भपात के लिए दुरूपयोग रोकने तथा उनसे संबंधित विषयों का उपबन्ध करने के लिए भारत सरकार द्वारा सन् 1994 में प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन एवं दुरूपयोग निवारण) अधिनियम 1994 के नाम से यह कानून लागू किया गया। सन् 2002 में इस अधिनियम में संशोधन कर इसे गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994 के नाम से संशोधित रूप में लागू किया गया।

यह अधिनियम गर्भधारण से पूर्व या उसके पश्चात् लिंग चयन का प्रतिषेध करता है तथा प्रसव पूर्व निदान तकनीकों को विनियमन करने के साथ ही इन तकनीकों के दुरूपयोग को रोकने का प्रावधान करता है। इस कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जिला स्तर पर जिला कलेक्टर को जिला स्तरीय सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया है तथा उन्हें सलाह प्रदान करने के लिए जिला स्तरीय सलाहकार समितियों का गठन किया गया है। राज्य स्तर पर इस कानून की प्रभावी अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए त्रिसदस्यीय राज्य स्तरीय सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किये गये हैं तथा माननीय स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सुपरवाईज़री बोर्ड का गठन किया गया है।

गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994 के मुख्य प्रावधान

- गर्भधारण के पूर्व अथवा पश्चात् लिंग निर्धारण पर रोक।
- सोनोग्राफी सेंटर एवं सोनोग्राफी करने वाले क्लीनिक्स का पंजीयन आवश्यक।
- कोई भी प्रयोगशाला केन्द्र अथवा क्लीनिक सोनोग्राफी का उपयोग लिंग निर्धारण के लिए नहीं कर सकेगा।
- प्रसव पूर्व निदान तकनीक का प्रयोग केवल अनुवांशिक विसंगतियों, जन्मजात विकृतियों, क्रोमोजोमल विसंगतियों एवं लिंग सहलग्न विकारों की जाँच के लिए किया जा सकेगा।
- प्रसव पूर्व परीक्षण करने वाले व्यक्ति अथवा अन्य कोई भी व्यक्ति गर्भवती महिला अथवा उसके रिश्तेदारों को शब्दों, इशारों या अन्य किसी भी तरीके से शिशु के भ्रूण लिंग के बारे में नहीं बता सकेगा।
- प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण सुविधा की उपलब्धता के बारे में प्रचार–प्रसार करना कानूनन जुर्म है।
- ऐसे चिकित्सक एवं रेडियोलॉजिस्ट जो लिंग निर्धारण के दोषी पाये जावेंगे उन्हें रू. 50,000/– तक का जुर्माना एवं 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।
- इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति जो किसी केन्द्र पर गर्भस्थ शिशु का लिंग निर्धारण करवाता है उसे 5 वर्ष तक की सजा एवं 1 लाख रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
- इस कानून के उल्लंघन संबंधी परिवाद संबंधित समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रथम श्रेणी न्यायाधीश अथवा महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय दायर किया जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति अथवा सामाजिक संस्था इस कानून के उल्लंघन संबंधी अभिकथित अपराध के संबंध में न्यायालय में परिवाद करने के अपने आशय की कम से कम 15 दिन की सूचना निहित रीति से समुचित प्राधिकारी को देकर संबंधित अपराध के बारे में उपर्युक्त न्यायालय में परिवाद पेश कर सकता है।

राज्य में गिरते लिंग अनुपात को रोकने के लिए किये जा रहे प्रयासः

- माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बेटी बचाओ अभियान का वृहद स्तर पर संचालन।
- लिंग चयन के बारे में सूचना देने वाले व्यक्तियों/संस्थाओं के लिए रू. 1,00,000/– के पुरूस्कार की योजना।
- प्रदेश के चार प्रमुख शहरों में संचालित सोनोग्राफी केन्द्रों का यू.एन.एफ.पी.ए. के सहयोग से प्रशिक्षित मॉनिटरिंग दलों के माध्यम से नियमित निरीक्षण एवं कार्यवाही एवं राज्य के 10 जिलों में स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा जनजागरूता कार्यक्रम का संचालन।
- प्रदेश के समस्त जिलों में जनजागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन।
- प्रदेश के विभिन्न जिलों में युवा अधिवक्ताओं एवं लोक अभिभाषकों के यू.एन.एफ. पी.ए. के सहयोग से प्रशिक्षण एवं न्यायिक अधिकारियों तथा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों की संवेदनशीलता कार्यशालाओं का आयोजन।
- प्रदेश के विभिन्न शहरों में बिटिया संस्था द्वारा एकमात्र बेटी वाले दम्पत्तियों के क्लबों का गठन एवं विभिन्न जनजागरूकता गतिविधियों का संचालन।
- प्रदेश के विभिन्न जिलों में लेखकों, पत्रकारों, धर्मगुरूओं, चिकित्सक संगठनों के पदाधिकारियों तथा महाविद्यालयों के छात्र–छात्राओं के साथ जागृति एवं संवेदनशीलता मूलक कार्यक्रमों का आयोजन।
- प्रदेश में पी.सी. एण्ड पी.एन.डी.टी. कानून के समुचित अनुपालन के लिए जिला स्तरीय सलाहकार समितियों के सदस्यों का क्षमतावर्द्धन एवं राज्य स्तरीय पी.सी. एण्ड पी.एन.डी.टी. सेल का गठन।
- प्रदेश में पी.सी. एण्ड पी.एन.डी.टी. कानून के उल्लंघन की ऑनलाईन शिकायत दर्ज कराने के लिए वेबसाईट का यू.एन.एफ.पी.ए. के सहयोग से निर्माण एवं राज्य शासन द्वारा संचालन।
- प्रदेश में गिरते हुए शिशु लिंग अनुपात को रोकने एवं बेटियों को उनका हक एवं सम्मान दिलाने में आप और हम सबकी भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। आईये आप और हम सब मिलकर इस अभियान का हिस्सा बनें।

लिंग चयन रोकें

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष
41–42, पॉलीटेक्निक कॉलोनी,
श्यामला हिल्स, भोपाल (म.प्र.)